वित्तीय वर्ष 2017–2018 का पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान

(Revised Budget Estimate)

तथा

वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक अनुमान

(Budget Estimate)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ।

मा0 संचालक मण्डल की

155वीं बैठक

दिनांक 24.07.2018

द्वारा अनुमोदित

(कार्यवृत्त पृष्ठ–38 से 46 पर)

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक (बजट) अनुमान (एक दृष्टि में)	01
2	प्रस्तावना	02
3	मण्डी परिषद का संगठनात्मक ढॉचा (Organisational Chart)	03
4	मण्डी परिषद सेवा संवर्ग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण	04–05
5	मण्डी समितियों की आय का विभाजन	06–07
6	कार्यकलाप	08
7	कार्योत्तर स्वीकृति	09
8	प्रस्तावित आय व्ययक अनुमान (परिषद निधि) बजट 2018–2019 **(भाग–1)**	10–12
9	प्रस्तावित आय–व्ययक की विस्तृत टिप्पणी	13–27
10	प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान (निर्माण) बजट 2018–2019 **(भाग–2)**	28–37

वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक (बजट) अनुमान
(एक दृष्टि में)

(धनराशि करोड़ रू0 में)

आय

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1.	परिषद निधि (विविध प्राप्तियों सहित)	295.27
2.	मण्डी विकास निधि एवं सेस निधि	1060.27
	प्रारम्भिक अवशेष	1555.64
	योग	**2911.18**

व्यय

क्रमांक	विवरण	परिषद निधि	मं0वि0नि0 एवं सेस	योग
1.	अधिष्ठान (वेतन) एवं कार्यालय व्यय (मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं सहित)	239.31	303.00	542.31
2.	निर्माण व्यय (भूमि क्रय सहित)	187.89	1712.49	1900.38
	अन्तिम अवशेष	94.20	374.29	468.49
	योग	**521.40**	**2389.78**	**2911.18**

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के अधीन पूरे प्रदेश में कुल 251 विनियमित मण्डी समितियां है। मण्डी समितियों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परिषद के आदेश संख्या–विप0–1/771/(86)/मं0वर्गी0/2009–332 दिनांक 26.09.2009 द्वारा मण्डी समितियों की आय के आधार पर उन्हें श्रेणीकृत किया गया था किन्तु समय व्यतीत हो जाने एवं मण्डी समितियों की मण्डी शुल्क से आय में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण आदेश संख्या–विप0–1(771/86/मं0वर्गी0)/2012–707 दिनांक 15.10.2012 द्वारा मण्डी समितियों का पुनः वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में मण्डी शुल्क से होने वाली आय के आधार पर मण्डी समितियों का वर्गीकरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	मण्डी की श्रेणी	मण्डी समितियों से मण्डी शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के आधार पर वर्गीकरण			
		पुराना वर्गीकरण (वर्ष 2009)	**संख्या**	नया वर्गीकरण (वर्ष 2012)	**संख्या**
1.	"क" विशिष्ट श्रेणी	रू0 4.00 करोड़ या उससे अधिक आय	20	रू0 6.00 करोड़ या उससे अधिक आय	21
2.	"क" श्रेणी	रू0 2.00 करोड़ से रू0 4.00 करोड़ तक आय	32	रू0 3.00 करोड़ से रू0 6.00 करोड़ तक आय	45
3.	"ख" श्रेणी	रू0 1.00 करोड से रू0 2.00 करोड़ तक आय	71	रू0 1.50 करोड से रू0 3.00 करोड़ तक आय	75
4.	"ग" श्रेणी	रू0 1.00 करोड़ से कम आय	126	रू0 1.50 करोड़ से कम आय	110
		कुल योग	**249**	**कुल योग**	**251**

इन मण्डी समितियों के प्रशासनिक कार्य के सफल संचालन हेतु 16 सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डल कार्यालय तथा निर्माण कार्यो के लिए 37 सिविल निर्माण खण्ड एवं 05 विद्युत/यांत्रिक खण्ड अर्थात 42 निर्माण/वि0यॉ0 खण्ड एवं न्यायालय सम्बन्धी वादों के सफल पर्यवेक्षण हेतु 01 विशेष कार्याधिकारी (विधि) कार्यालय भी इलाहाबाद में स्थापित है। मण्डी समितियों एवं उक्त कार्यालयों के नीति निर्देशन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु लखनऊ में मण्डी परिषद का मुख्यालय स्थित है।

मण्डी परिषद का संगठनात्मक ढाँचा

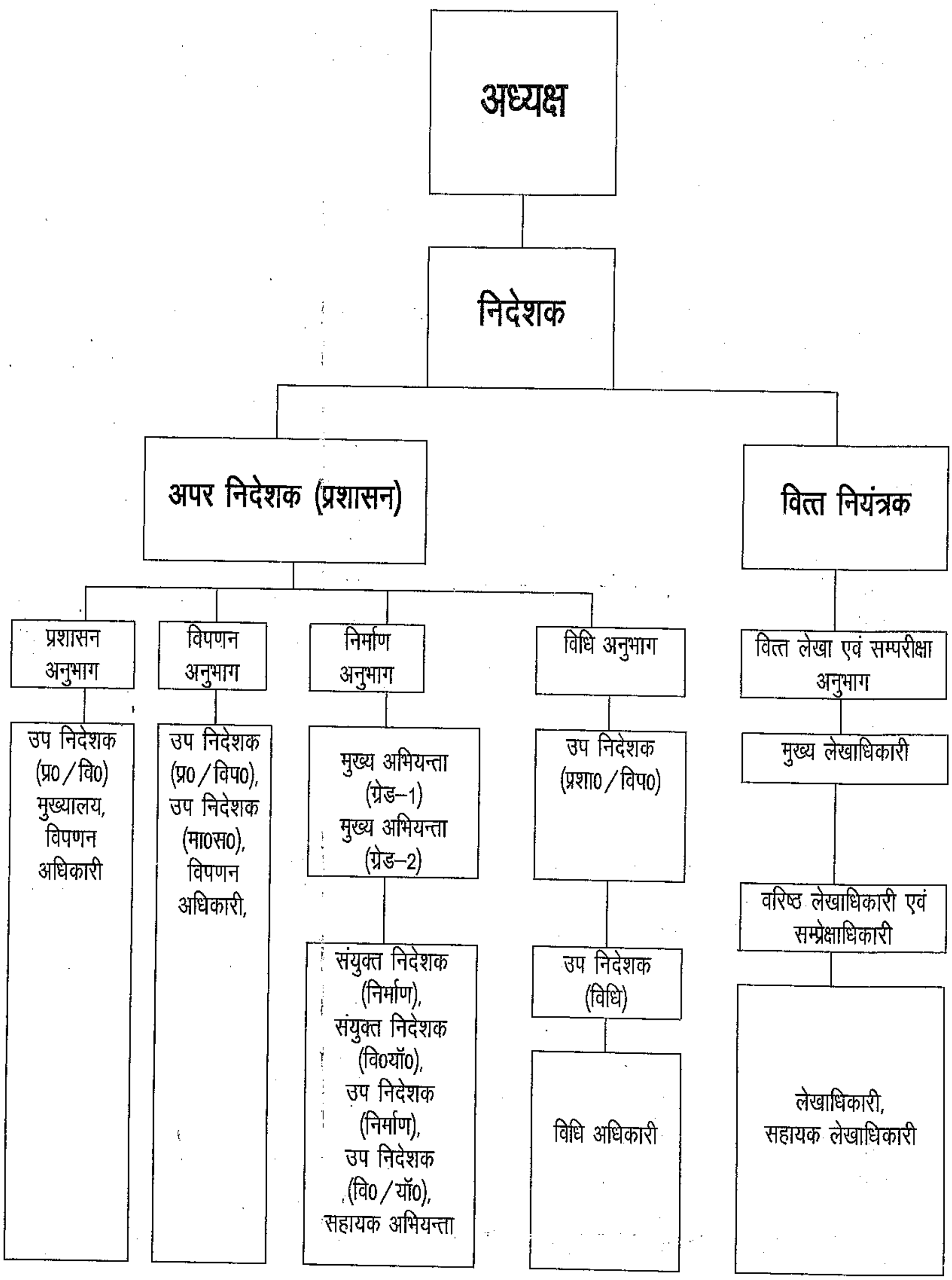

मण्डी परिषद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं वेतनमान का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत	अभ्युक्ति
1	आयुक्त एवं निदेशक				1	1	
2	अपर निदेशक (प्रशासन)				1	1	
3	वित्त नियन्त्रक				1	1	
4	मुख्य अभियन्ता ग्रेड–1	37400–67000	4	8900	1	0	
5	मुख्य अभियन्ता ग्रेड–2	37400–67000	4	8700	1	1	
6	संयुक्त निदेशक (प्रशा0 / विप0)	15600–39100	3	7600	1	0	
7	संयुक्त निदेशक (निर्माण)	15600–39100	3	7600	4	3	
8	संयुक्त निदेशक (विद्युत / यांत्रिक)	15600–39100	3	7600	1	0	
9	मुख्य लेखा एवं सम्प्रेक्षाधिकारी	15600–39100	3	7600	1	0	
10	उपनिदेशक (प्रशा0 / विप0)	15600–39100	3	6600	20	14	
11	उपनिदेशक (निर्माण)	15600–39100	3	6600	39	23	
12	उपनिदेशक (वि0 / यॉ0)	15600–39100	3	6600	6	5	
13	उपनिदेशक (विधि)	15600–39100	3	6600	1	0	
14	उपनिदेशक (मार्केट सर्वे)	15600–39100	3	6600	1	0	मृत संवर्ग
15	वरिष्ठ लेखा एवं सम्प्रेक्षाधिकारी	15600–39100	3	6600	2	0	
16	सिस्टम एनालिस्ट	15600–39100	3	6600	1	1	
17	निजी सचिव ग्रेड–1	15600–39100	3	6600	1	0	
18	विपणन अधिकारी	15600–39100	3	5400	7	1	
19	सांख्यिकीय अधिकारी	15600–39100	3	5400	1	0	मृत संवर्ग
20	प्रचार अधिकारी	15600–39100	3	5400	1	0	मृत संवर्ग
21	लेखाधिकारी एवं सम्प्रेक्षाधिकारी	15600–39100	3	5400	22 सीधी भर्ती +22 पदोन्नति =44	0	
22	विधि अधिकारी	15600–39100	3	5400	2	0	
23	विशेष कार्याधिकारी (विधि)	15600–39100	3	5400	1	1	मृत संवर्ग
24	अनुश्रवण अधिकारी	15600–39100	3	5400	1	0	मृत संवर्ग
25	सहायक अभियन्ता (सिविल)	15600–39100	3	5400	113	41 पदोन्नति +10 सीधी भर्ती =51	
26	सहायक अभियन्ता(वि0 / यॉ0)	15600–39100	3	5400	16	2 सीधी भर्ती +5 पदोन्नति=7	
27	सहायक वास्तुविद / सहायक नगर योजनाकार	15600–39100	3	5400	2	1	मृत संवर्ग
28	प्रोग्रामर	15600–39100	3	5400	2	0	
29	निजी सचिव ग्रेड–2	15600–39100	3	5400	5	0	
30	सहायक लेखाधिकारी एवं सम्प्रेक्षाधिकारी	9300–34800	2	4800	23	22	
31	अनुभाग अधिकारी	9300–34800	2	4600	31	29	
32	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800	2	4600	3	0	
33	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800	2	4600	10	8	
34	सहायक विधि अधिकारी	9300–34800	2	4600	2	0	

35	अपर सांख्यिकीय अधिकारी / अपर अनुश्रवण अधिकारी	9300–34800	2	4200	8	8	मृत संवर्ग
36	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	2	4200	4	4	
37	संगणक	9300–34800	2	4200	18	13	मृत संवर्ग
38	सांख्यिकीय संगणक / विधायन कार्य सहायक	9300–34800	2	4200	6	3	मृत संवर्ग
39	वास्तुविद सहायक	9300–34800	2	4200	2	2	मृत संवर्ग
40	वरिष्ठ सहायक	9300–34800	2	4200	82	74	
41	विधिक सहायक	9300–34800	2	4200	8	0	
42	लेखाकार / सम्प्रेक्षक	9300–34800	2	4200	28	13	
43	अवर अभियन्ता (सिविल)	5200–20200	1	2800	370	60+3 प्रतिनियुक्ति =63	
44	अवर अभियन्ता (वि0 / यॉ0)	5200–20200	1	2800	50	24+1 प्रतिनियुक्ति =25	
45	आशुलिपिक	5200–20200	1	2800	58	30	
46	कम्प्यूटर आपरेटर	5200–20200	1	2800	6	0	मृत संवर्ग
47	कनिष्ठ सहायक (लिपिक एवं टंकक का परिवर्तित पदनाम)	5200–20200	1	2400	144	84 सीधी भर्ती +29 पदोन्नति=113	
48	लेखालिपिक	5200–20200	1	2400	60	7	
49	नक्शा नवीस (मानचित्रक)	5200–20200	1	2400	2	2	मृत संवर्ग
50	टेलीफोन आपरेटर	5200–20200	1	2400	3	2	मृत संवर्ग
51	वाहन चालक (ड्राइवर)	5200–20200	1	1900	68+2 अधिसंख्य पद	70	53 पद मृत संवर्ग
52	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक	5200–20200	1	1900	11	10	
53	रोड रोलर चालक	5200–20200	1	1900	1	0	मृत संवर्ग
54	इलेक्ट्रीशियन	5200–20200	1	1900	1	1	मृत संवर्ग
55	दफ्तरी	5200–20200	1	1800	5	4	मृत संवर्ग
56	मशीनमैन	5200–20200	1	1800	1	0	मृत संवर्ग
57	ब्लू प्रिन्टर	5200–20200	1	1800	3	1	मृत संवर्ग
58	चपरासी / चौकीदार	5200–20200	1	1800	122+51 अधिसंख्य पद	173	मृत संवर्ग
59	फराश	5200–20200	1	1800	2	2	मृत संवर्ग
60	माली	5200–20200	1	1800	1	1	मृत संवर्ग
61	सफाईकार	5200–20200	1	1800	11+21 अधिसंख्य पद	32	मृत संवर्ग
	योग:–				**1496**	**823**	

नोटः– मा0 संचालक मण्डल की 150 वीं बैठक दिनॉक 03.06.2016 में लिए गये निर्णयानुसार भर्ती एवं पदोन्नति हेतु निर्धारित किये गये आवश्यक पदों की संख्या स्वीकृत पद के कालम में दर्शाई गयी है।

मण्डी समितियों की आय का विभाजन

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम की धारा–19 की उप धारा 5 के अन्तर्गत, कृषि अनुभाग–5, उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–4890–12–5–90–600(108)–88 दिनांक 28 दिसम्बर, 1990 एवं अधिसूचना संख्या–4890(11)/12–5–90–600(108)/88 दिनांक 28 दिसम्बर 1990 के अनुसार मण्डी समितियों से उक्त गजट नोटिफिकेशन एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 26 त एवं 26 तत के अन्तर्गत मण्डी समितियों से प्राप्त अंशदान को परिषद निधि, उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में निम्नवत् स्थानान्तरित एवं संरक्षित किये जाने की व्यवस्था रही है:–

क्रमांक	मण्डी समिति की आय का आधार	मण्डी समिति की प्राप्तियों में मण्डी समिति के अंश की धनराशि या प्रतिशत	परिषद को प्राप्त अंशदान का प्रतिशत	परिषद को प्राप्त अंशदान	
				परिषद निधि में जमा किये जाने विषयक प्रतिशत	मण्डी विकास निधि में जमा किये जाने विषयक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	मण्डी समिति जिसकी आय रू0 50.00 लाख से अधिक है।	रू0 25.00 लाख	मण्डी समिति को रू0 25.00 लाख देने के बाद शेष समस्त धनराशि	20%	80%
2.	रू0 40.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 50.00 लाख से कम	50%	50%	20%	80%
3.	रू0 30.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 40.00 लाख से कम	60%	40%	20%	80%
4.	रू0 20.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 30.00 लाख से कम	70%	30%	20%	80%
5.	रू0 10.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 20.00 लाख से कम	80%	20%	30%	70%
6.	रू0 5.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 10.00 लाख से कम	85%	15%	40%	60%
7.	रू0 5.00 लाख से कम	90%	10%	60%	40%

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा 19(6) के अन्तर्गत प्रत्येक मण्डी समिति विकास सेस के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि को प्रत्येक माह मण्डी परिषद को भुगतान कर रही है, जिसे धारा 26 त त त के अधीन स्थापित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जा रहा है।

मण्डी समितियों की आय के विभाजन की नई व्यवस्था

उ0प्र0 शासन विधायी अनुभाग–1 के सरकारी गजट संख्या–813/79–वि–1–18–1(क)9–2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम 2018 निर्गत किया गया है, जिसके पृष्ठ–6 पर धारा–19 का संशोधन किया गया है जो इस प्रकार है:–

मूल अधिनियम की धारा–19 में उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष में धारा–17 के खण्ड–5 के अधीन जुटाई गयी धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों में से केवल पचास प्रतिशत अथवा दस करोड़ रूपये जो भी कम हो, रखकर शेष धनराशि परिषद को अंशदान के रूप में अन्तरित करेगी।"

इस प्रकार उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मण्डी समितियों द्वारा परिषद को अंशदान के रूप में निम्नानुसार विनिर्दिष्ट दरों पर धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में साफ्ट वेयर के माध्यम से अन्तरित की जायेगी:–

क्र0 सं0	मण्डी समिति की आय का आधार	मण्डी समिति की प्राप्तियों में मण्डी समिति के अंश की धनराशि या प्रतिशत	परिषद को प्राप्त अंशदान का प्रतिशत
1.	मण्डी समिति, जिसकी आय रू0 20.00 करोड़ से अधिक है	रू0 10.00 करोड़	प्रथम रू0 20.00 करोड़ का 50% और रू0 20.00 करोड़ से अधिक समस्त धनराशि
2.	रू0 20.00 करोड़ से कम	50%	50%

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वित्त्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक (बजट) उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के अनुसार सम्भावित आय के दृष्टिगत तैयार किया गया है। विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	विवरण	(धनराशि करोड़ रू0 में)
1.	मण्डी शुल्क	1305.46
2.	अन्य आय	243.32
	(1+2)	**1548.78**
3.	केन्द्रीय मण्डी निधि (सेस)	339.22
	कुल आय	**1888.00**
4.	म0स0 का अंश	647.46
5.	मण्डी परिषद का अंश	901.32
6.	मण्डी विकास निधि	721.05
7.	परिषद निधि	180.27

कार्यकलाप

मण्डी समितियों के प्रमुख कार्य–कृषि उत्पादकों को अपने उत्पादन का उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य उपलब्ध कराना, क्रेता व्यापारियों से मण्डी शुल्क वसूल करना, मण्डी स्थल/मण्डी क्षेत्र के विकास कार्यों को सम्पादित कराना तथा मण्डी विनियमन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करना। इस सन्दर्भ में मण्डी समितियों की आय का गत 3 वर्षों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

मण्डी शुल्क से आय (धनराशि करोड़ रू0 में)

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2015–2016 की वास्तविक आय	वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वास्तविक आय	वित्तीय वर्ष 2017–2018 की वास्तविक आय	गत वर्ष के सापेक्ष में प्रतिशत वृद्धि	वित्तीय वर्ष 2018–2019 की अनुमानित आय
1.	842.81	853.00	1075.93	26.13 %	1548.78

मण्डी समितियों की कुल आय (धनराशि करोड़ रू0 में)

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2015–2016 की वास्तविक आय	वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वास्तविक आय	वित्तीय वर्ष 2017–2018 की वास्तविक आय	गत वर्ष के सापेक्ष में प्रतिशत वृद्धि	वित्तीय वर्ष 2018–2019 की अनुमानित आय
1.	1161.36	1211.33	1552.30	28.15 %	1888.00

अपनी स्थापना के पश्चात मण्डी समितियों ने अधिनियम के प्राविधानों को सतत प्रभावी ढंग से लागू कर किसानों को न्यायोचित व्यवहार तथा उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसी के परिणाम स्वरूप विनियमित मण्डियों के आवक और आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी है। वर्ष 1972–73 में कुल आय मात्र रू0 1.79 करोड़ थी जो वर्ष 2017–2018 में बढ़कर रू0 1552.30 करोड़ हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में रू0 1548.78 करोड़ मण्डी शुल्क से आय एवं मण्डी समितियों की कुल आय रू0 1888.00 करोड़ होने का अनुमान किया गया है।

कार्योत्तर स्वीकृति हेतु

वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक (बजट) मा0 संचालक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अपरिहार्य व्ययों हेतु दिनांक 07.06.2018 को रू0 254.00 करोड़ तथा दिनांक 13.07.2018 को रू0 361.00 करोड़, कुल रू0 615.00 करोड़ की सीमा तक निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है:– (धनराशि करोड़ रू0 में)

क0 सं0	मद का विवरण	वर्ष 18–19 के बजट में प्रस्तावित धन0	मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत धनराशि	जारी स्वीकृतियां
1.	अधिष्ठान एवं कार्यालय व्यय	542.31	250.00	174.39
2.	भूमि प्रतिकर/कय हेतु	110.00	3.00	1.08
3.	नवीन परियोजनायें:–			
	मण्डी कार्य	394.36	26.00	2.41
	सं0 मार्ग मरम्मत	100.00	26.00	0.40
	नवीन सं0 मार्ग	25.00	10.00	0.00
4.	गत वर्ष की अवशेष परियोजनाओं हेतु:–			
	मण्डी कार्य	560.97	100.00	43.25
	सं0 मार्ग मरम्मत	531.21	125.00	69.55
	जनेश्वर मिश्र ग्राम	178.84	75.00	2.34
	योग	**2442.69**	**615.00**	**293.42**

उपरोक्त सीमा तक अधिष्ठान (वेतन), कार्यालय व्यय एवं निर्माण/विकास कार्यो हेतु मुख्यालय पर व्यय एवं खण्डीय कार्यालयों को धनराशि आवंटित की जा रही है, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–2019 के प्रस्तावित बजट में सम्मिलित है। उपरोक्त की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

(भाग–1)

(परिषद निधि)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 का पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान

(Revised Budget Estimate)

तथा

वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक अनुमान

(Budget Estimate)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ (परिषद निधि) का वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय व्ययक अनुमान (करोड़ रू0 में)

प्राप्तियाँ

क्र0 सं0	प्राप्तियों के मद	वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वास्तविक प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2017–2018 की प्राविधानित प्राप्ति (पुनरीक्षित)	वित्तीय वर्ष 2017–2018 की वास्तविक प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2018–2019 की अनुमानित प्राप्ति
1	2	3	4	5	6
1.	परिषद निधि में मण्डी समितियों से अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि	179.24	208.45	220.29	180.27
2.	बैंक में जमा धन पर ब्याज	98.27	113.00	85.52	90.00
3.	विविध प्राप्तियाँ	2.95	5.64	3.09	3.50
4.	भवन किराये से प्राप्तियाँ	0.99	1.10	1.46	1.50
5.	मण्डी परिषद के अधि0/कर्म0 से भवन/वाहन अग्रिम की किश्तों की वसूली	0.34	0.40	0.47	0.50
6.	मण्डी परिषद/मण्डी समिति के अधि0/कर्म0 से कर्मचारी कल्याण निधि के अंशदान एवं किश्तों की वसूली	0.30	0.40	0.36	0.50
7.	मण्डी समितियों में ई–नेम की परियोजना हेतु प्राप्ति (केन्द्रीय अनुदान)	9.90	9.90	20.10	0.00
8	आलू, चना, मसूर एवं सरसों आदि के क्रय हेतु दिये गये ऋण की वापसी (बाजार हस्तक्षेप योजना)	0.00	4.00	4.00	19.00
	प्राप्तियों का योग	**291.99**	**342.89**	**335.29**	**295.27**
	प्रारम्भिक अवशेष	**142.72**	**159.69**	**159.69**	**226.13**
	कुल योग	**434.71**	**502.58**	**494.98**	**521.40**

व्यय

क्र0 सं0	व्यय के मद	वित्तीय वर्ष 2016–2017 का वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–2018 का बजट प्राविधान (पुनरीक्षित)	वित्तीय वर्ष 2017–2018 का वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए अनुमानित प्राविधान	टिप्पणी आवश्यकतानुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	अधिष्ठान व्यय	63.65	80.00	71.47	100.00	अधिष्ठान (वेतन), एरियर, ग्रेच्युटी, मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि एवं सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए।
2.	**आकस्मिक व्यय** (अ) आवर्तक	16.93	22.06	13.42	28.72	
	(ब) अनावर्तक	0.80	1.15	0.39	1.15	
3.	आधुनिकीकरण (विपणन व्यवस्था) कृषि विपणन निदेशालय शोध अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना	0.30	0.30	0.30	0.68	
4.	मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना	13.74	25.00	21.76	30.00	
5.	मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना	2.38	3.35	3.03	5.00	

1	2	3	4	5	6	7
6.	अध्ययन योजना	0.01	0.10	0.00	2.00	अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग करने के व्यय सहित
7.	मोटर वाहनों का क्रय	0.50	0.50	0.00	1.00	निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय हेतु।
8.	मण्डी परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को भवन निर्माण / वाहन अग्रिम	0.14	0.30	0.10	0.20	
9.	फसलोत्तर प्रबन्धन (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट)	0.00	1.00	0.00	5.00	किसानों के प्रशिक्षण के साथ मशीनों के क्रय पर अनुदान एवं किसानों को उपहार स्वरूप छोटे उपकरण उपलब्ध कराये जाने के व्यय सहित
10.	मैंगो पैक हाऊस के संचालन हेतु।	0.01	0.20	0.02	0.20	सहारनपुर एवं लखनऊ में निर्मित मैंगो पैक हाऊस के संचालन हेतु।
11.	कृषि उत्पादों के निर्यात फैसिलीटेशन सम्बन्धी व्यय हेतु।	0.98	2.50	0.82	1.50	
12.	मण्डी समितियों के गेस्ट हाऊस के संचालन हेतु।	0.63	1.00	0.68	1.00	
13.	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों का कम्प्यूटराईजेशन	10.97	23.00	1.65	15.00	
14.	मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना	4.71	0.00	0.00	0.00	
15.	मण्डी समितियों में ई–नेम परियोजना (केन्द्रीय अनुदान)	2.31	17.49	14.83	12.86	
16.	मण्डी समितियों को अनुदान (भूमि अध्याप्ति हेतु)	2.67	10.00	9.99	10.00	
17.	मण्डी समितियों को अनुदान (अधिष्ठान एवं अन्य अपरिहार्य व्ययों हेतु)	16.32	23.00	19.36	20.00	
18.	**अनुरक्षण एवं निर्माणः–** किसान मण्डी भवन/आवासीय कालोनी	8.70	7.97	2.82	10.05	(अवशेष कार्य+नये कार्य) (2.29+7.76)
19.	मण्डी परिषद के ए0पी0सेन रोड स्थित पुराने कार्यालय भवन की जमीन पर नव भवन का निर्माण	5.50	3.10	0.09	2.93	(अवशेष कार्य+नये कार्य) (2.33+0.60)
20.	मण्डी परिषद के सम्भागीय कार्यालयों के निर्माण तथा परिषद अधिकारी/कर्मचारी के आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत भवनों का निर्माण/मर0 एवं अनुरक्षण	0.00	0.30	0.00	1.00	
21.	मण्डी स्थल के कार्य	15.43	23.70	5.14	24.81	(अवशेष कार्य+नये कार्य) (14.81+10.00)
22.	मा0 जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना	108.34	103.08	43.23	49.11	(अवशेष कार्य+नये कार्य) (49.11+0.00)
23	सं0 मार्ग की मरम्मत	0.00	145.00	51.75	64.99	(अवशेष कार्य+नये कार्य) (64.99+00.00)
24	शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावास निर्माण	0.00	0.00	0.00	25.00	
25	आलू, चना, मसूर एवं सरसों आदि के क्रय हेतु ऋण (बाजार हस्तक्षेप योजना)	0.00	8.00	8.00	15.00	
	व्यय का योग	**275.02**	**502.10**	**268.85**	**427.20**	
	बचत	**159.69**	**0.48**	**226.13**	**94.20**	
	कुल योग	**434.71**	**502.58**	**494.98**	**521.40**	

मदवार संक्षिप्त टिप्पणी वर्ष 2018–2019

प्राप्तियॉ

1. परिषद निधि में मण्डी समितियों से अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि :–

मण्डी समितियां अपनी वित्तीय वर्ष की कुल प्राप्तियां मण्डी शुल्क, लाईसेन्स शुल्क आदि (जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा–17 के खण्ड (5) के अधीन जुटाई गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान नहीं है) पर उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या–4890/12–5–90–600 (108)/86, दिनांक 28.12.90 के अनुसार निर्धारित दरों के अनुसार मण्डी परिषद को अंशदान देती है। मण्डी समितियों से प्राप्त अंशदान की धनराशि को उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या–4890(11)/12–5–90–600(108)/88, दिनांक 28.12.90 एवं मण्डी अधिनियम की धारा 26 (त) के अनुसार परिषद निधि एवं मण्डी अधिनियम की धारा 26 त त के अनुसार मण्डी विकास निधि में स्थानान्तरित/संरक्षित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 208.45 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 220.29 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में रू0 180.27 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है।

2. बैंक में जमा धन पर ब्याजः–

मण्डी परिषद में बैंकिंग व्यवस्था ऑन लाईन की जा चुकी है। संचालित किये जा रहे बैंक खातों/विनियोजित धनराशि पर प्रतिवर्ष व्याज के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। इसी प्राप्त धनराशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 113.00 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 85.52 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए इस मद में रू0 90.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है।

3. विविध प्राप्तियॉः–

इस आय के अन्तर्गत परिषद कार्यालय/सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा0/विप0) एवं उप निदेशक (निर्माण) कार्यालयों से निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री/निविदा बिक्री/पंजीकरण शुल्क/रोड रोलर चार्जेज/ वाटर चार्जेज/जुर्माने आदि से धनराशि प्राप्त की जाती है। यह प्राप्ति परिषद की विविध प्राप्ति कहलाती है। इस मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 5.64 करोड़ का

प्राविधान था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 3.09 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में रू0 3.50 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया है।

4. भवन किराये से प्राप्तियाँ:–

किसान मण्डी भवन के विभिन्न तलों को किराये पर दिये जाने के निर्णय के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 1.10 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया था जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 1.46 करोड़ की प्राप्ति हुई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में रू0 1.50 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया गया है।

5. मण्डी परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों से भवन/वाहन अग्रिम की किश्तों की वसूली:–

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में इस मद के समक्ष रू0 0.40 करोड़ की प्राप्ति का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.47 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई है। तदनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस मद में रू0 0.50 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

6. मण्डी परिषद/मण्डी समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों से कर्मचारी कल्याण निधि के अंशदान एवं किश्तों की वसूली:–

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में इस मद के समक्ष रू0 0.40 करोड़ की प्राप्ति का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.36 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई है। तदनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस मद में रू0 0.50 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

7. मण्डी समितियों में ई–नेम परियोजना के अन्तर्गत प्राप्ति (केन्द्रीय अनुदान):–

भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट परियोजना के अन्तर्गत चयनित मण्डी समितियों में कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाये जाने हेतु रू0 30.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 9.90 करोड़ की प्राप्ति का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 20.10 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति हुई है। केन्द्रीय अनुदान की समस्त धनराशि प्राप्त हो चुकी है अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस मद में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

8. आलू, चना, मसूर एवं सरसों आदि के क्रय हेतु दिये गये ऋण की वापसी (बाजार हस्तक्षेप योजना):–

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या–725(1)/58–2017 दिनांक 10.04.2017 के बिन्दु संख्या–11 में लिये गये निर्णयानुसार कुल रू0 6.00 करोड़ में से रू0 2.00 करोड़ हाफेड को, रू0 1.00 करोड़ यू0पी0 एग्रो, रू0 1.00 करोड़ पी0सी0एफ0 को एवं शेष रू0 2.00 करोड़ आवश्यकतानुसार संस्थाओं की मांग पर मण्डी परिषद द्वारा चार माह हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए।

तत्क्रम में विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या–664/80–1–2017–600(12)/2009 दिनांक 21 अप्रैल, 2017 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 4.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था।

इसी प्रकार आलोच्य वित्तीय वर्ष 2018–2019 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मौसम की फसल– चना, मसूर एवं सरसों के क्रय व्यवस्था के सम्बन्ध में पी0सी0एफ0 को धनराशि दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो इसी वित्तीय वर्ष में मण्डी परिषद को प्राप्त होनी है। अतः इस वित्तीय वर्ष में रू0 19.00 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान किया गया है। ।

मदवार संक्षिप्त टिप्पणी वित्तीय वर्ष 2018–2019 का व्ययानुमान

व्यय पक्ष

1. अधिष्ठान व्यय:–

इस लेखाशीर्षक अन्तर्गत मण्डी परिषद, मुख्यालय, सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन), निर्माण/विद्युत यांत्रिक खण्डों एवं विशेष कार्याधिकारी (विधि) के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्ते इत्यादि (मूल वेतन, मँहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा व्यय, मानदेय) एवं सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के दृष्टिगत भी धनराशि शामिल हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से मण्डी परिषद, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु लिये जाने वाले मैन पॉवर एवं ड्राईवरों के पारिश्रमिक आदि के भुगतान हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि भी इस प्राविधान में सम्मिलित है। उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 80.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 71.47 करोड़ का व्यय हुआ है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु इस मद में रू0 100.00 करोड़ के प्राविधान का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में अधिष्ठान का अनुमानित व्यय का विवरण

(धनराशि करोड़ रू0 में)

व्यय के मद	वर्ष 2016–2017 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2017–2018 का प्राविधान (पुनरीक्षित)	वित्तीय वर्ष 2017–2018 का वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–2019 का अनुमानित व्यय (प्रस्तावित व्ययानुमान)
अधिष्ठान व्यय:– (वेतन अधिकारी / कर्मचारी एवं भत्ते मानदेय)	60.86	75.65	68.86	95.60
मैन पॉवर पारिश्रमिक (आउटसोर्सिंग)	2.27	3.50	2.11	3.50
यात्रा भत्ता	0.52	0.80	0.46	0.80
मानदेय	0.00	0.05	0.04	0.10
महायोग	**63.65**	**80.00**	**71.47**	**100.00**

2. आकस्मिक व्यय:–

(अ) आवर्तक:–

इस लेखाशीर्षक के अन्तर्गत आने वाले 25 उप मदों के अन्तर्गत अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्ताव के साथ पर संलग्न है। वर्ष 2017–2018 में इन मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय हेतु रू0 21.06 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 13.42 करोड़ का व्यय हुआ है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रू0 22.06 करोड़ का प्राविधान पुनरीक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस मद में रू0 28.72 करोड़ के प्राविधान का प्रस्ताव है।

आवर्तक मदों पर अनुमानित व्यय का विस्तृत विवरण
वित्तीय वर्ष 2018–2019 (धन0 लाख रू0 में)

क्र0 सं0	व्यय के मद	वर्ष 2016–2017 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2017–2018 का बजट प्राविधान (पुनरीक्षित)	वर्ष 2017–2018 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2018–2019 के लिए अनुमानित प्राविधान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	आवर्तक मद					
1.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	210.04	300.00	144.19	250.00	
2.	कार्यालय भवन किराया	4.04	5.25	3.00	10.00	क्षेत्रीय कार्यालयों के किराया भुगतान हेतु।
3.	छपांई तथा लेखन सामग्री	36.90	84.00	30.49	50.00	
4.	डाकतार व्यय	6.61	10.00	7.55	10.00	
5.	विद्युत व्यय	268.04	310.00	294.31	400.00	किसान मण्डी भवन/आवासीय कालोनी एवं क्षेत्रीय कार्यालय के विद्युत बिलों के भुगतान/ देयता की पूर्ति हेतु।
6.	चतुर्थ श्रेणी वर्दी	4.77	7.00	1.69	5.00	
7.	कार्यालय फर्नीचर तथा उपकरण मरम्मत	2.45	5.00	2.87	5.00	
8.	फोटो स्टेट मशीन मरम्मत एवं रख–रखाव	40.20	55.00	39.25	50.00	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध फोटो स्टेट मशीन के नियमित अनुरक्षण हेतु
9.	कम्प्यूटर संचालन एवं अनुरक्षण	20.93	30.00	19.04	25.00	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर संचालन/मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु
10.	सवारी व्यय	0.35	1.00	0.19	5.00	
11.	टेलीफोन व्यय	19.46	30.00	17.31	25.00	
12.	विविध व्यय	126.06	165.00	54.06	150.00	कार्या0प्रशासन/निर्माण खण्डों के सफाई/झाड़न, फिनायल, फुटकर व्यय/अन्य कार्य जिनका मद निर्धारित नही है, इस प्रकार के व्यय इस श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित जनरेटरों के संचालन हेतु डीजल आदि का व्यय एवं त्रैमासिक आयकर विवरणी सनदी लेखाकार के माध्यम से जमा कराने का व्यय भी इसी मद से किया जाता है।
13.	विधि व्यय	27.06	60.00	33.06	45.00	

1	2	3	4	5	6	7
14.	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि के क्रय हेतु	408.72	520.00	281.01	400.00	
15.	बीमा व्यय	8.46	15.00	8.11	15.00	कार्यालय के मोटर–कार के बीमा हेतु
16.	सभायें–आवभगत	68.80	90.00	43.54	90.00	
17.	भवन/जल कर अन्य कर	66.72	85.00	45.85	85.00	कार्यालय भवन के भवन कर/जलकर/अन्य कर की देयता के निर्वाहन हेतु। वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु भी धनराशि सम्मिलित है।
18.	खेलकूद व्यय	0.00	1.00	0.00	25.00	
19.	बैंक व्यय	0.00	1.00	0.00	1.00	
20.	विज्ञापन तथा प्रचार	74.80	230.00	221.90	800.00	ऋण मोचन कार्यक्रम में परिवहन व्यवस्था एवं अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं सहित
21.	कर्मचारी कल्याण निधि	86.08	125.00	72.70	275.00	
22.	सम्प्रेक्षण शुल्क	200.00	1.00	0.00	1.00	
23.	पुस्तक – पत्रिकाएं	0.22	1.00	0.34	25.00	
24.	प्रोजेक्ट सर्वे	5.90	25.00	15.30	25.00	
25.	प्रशिक्षण व्यय	6.13	50.00	5.90	100.00	कार्यालय प्रबन्धन, लेखा प्रणाली (वित्त), विपणन व्यवस्थायें, कम्प्यूटरीकरण आदि अन्य महत्वपूर्ण विषयों का प्रशिक्षण मण्डी परिषद/समितियों के अधि0/कर्म0 को वर्ष 2018–2019 में प्राप्त कराया जाना प्रस्तावित है। आई0सी0सी0एम0आर0टी0, कौशाम्ब एवं वर्ल्ड यूनियन आफ होल सेल मार्केट्स की सदस्यता शुल्क की धनराशि भी इसी मद में सम्मिलित है।
	कुल योग (आवर्तक)	**1692.74**	**2206.25**	**1341.66**	**2872.00**	

(ब) अनावर्तक:–

इस मद के अन्तर्गत परिषद मुख्यालय/सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन), उप निदेशक (निर्माण), उप निदेशक (वि0/यॉ0) एवं विशेष कार्याधिकारी (विधि) कार्यालयों के लिए कार्यालय फर्नीचर, सहवर्ती उपकरण एवं कार्यालय की साज सज्जा आदि के कार्यो हेतु आय–व्ययक में प्राविधान किया जाता है। अनावर्तक मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 के व्यय हेतु रू0 1.15 करोड़ का

अनुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.39 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु इस मद में रू0 1.15 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

अनावर्तक मद पर अनुमानित व्यय का विस्तृत विवरण
वित्तीय वर्ष 2018–2019 (धन0 लाख रू0 में)

क्र0 सं0	व्यय के मद	वर्ष 2016–2017 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2017–2018 का बजट प्राविधान (पुनरीक्षित)	वर्ष 2017–2018 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2018–2019 के लिए अनुमानित प्राविधान	टिप्पणी
1.	**अनावर्तक मद–** (कार्या0 / फर्नी0 तथा उप0 कय)	79.84	115.00	38.78	115.00	

3. आधुनिकीकरण (विपणन व्यवस्था) कृषि विपणन निदेशालय शोध, अनुसन्धान एवं मूल्यांकन योजना:–

कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ उचित विपणन व्यवस्था की निरन्तर आवश्यकता के दृष्टिगत हुए कृषि विपणन के अधीन कृषि विपणन अनुभाग की स्थापना सन् 1958 में हुई। विभाग द्वारा विपणन परिमाप, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, व्यापारिक वर्गीकरण तथा एगमार्क, वर्गीकरण का कार्य कृषि विपणन सलाहकार के मार्ग निर्देशन में किया जा रहा है। उचित विपणन व्यवस्था हेतु कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 के अधीन मण्डियों का विनियमन 1968 में आरम्भ हुआ। विनियमन संबंधी कार्य का संचालन विपणन अनुभाग द्वारा ही होता रहा। सन् 1973 में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के गठन के पश्चात विनियमन संबंधी कार्यो का दायित्व मण्डी परिषद को सौंपा गया, जिसके मार्ग निर्देशन में पूरे प्रदेश में मण्डियों का विनियमन किया गया और तद्नुसार वर्ष 1995 के पारित प्रस्ताव के अनुसार मण्डी परिषद द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। कृषि विपणन निदेशालय,उ0प्र0 की योजनाओं का विवरण निम्नवत् है:–

(क) एगमार्क एवं वाणिज्यात्मक वर्गीकरण प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण, फर्नीचर व प्रचार–प्रसार तथा ट्रेनिंग / यात्रा व्यय आदि हेतु।

(ख) सर्वेक्षण अनुसन्धान में प्रयुक्त होने वाले मानव संसाधन व रिपोर्ट तैयार करने सम्बन्धी कम्प्यूटर साफ्टवेयर, स्टेशनरी एवं कार्यालय व्यय / आकस्मिक व्यय आदि।

(ग) मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों के फर्नीचर एवं साज सज्जा एवं स्टेशनरी हेतु।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 0.30 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.30 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ है। प्रयोगशाला के अपग्रेडेशन एवं निर्यात व्यवस्था हेतु कुल रू0 0.68 करोड़ का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए किया गया है।

4. मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजनाः–

मण्डी परिषद द्वारा संचालित यह योजनाएं 01.04.2018 से प्रभावी होंगी। इन योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डी समिति क्षेत्र के परगनाधिकारी/उप जिलाधिकारी को दावा स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। दावों के प्रस्तुतीकरण की समय सीमा खेत खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना में 90 दिन व कृषक दुर्घटना सहायता योजना में भी 90 दिन निर्धारित की गयी है।

(4–क)मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुघर्टना सहायता योजनाः– प्रदेश के मण्डी क्षेत्रों में स्थित खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज/अवशेष अंश के अग्नि दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति हेतु जोत सीमा के आधार पर पीड़ित कृषक को निम्नवत् अर्थिक सहायता वित्तीय रुप में प्रदान की जाती हैः–

क्रमांक	जोत सीमा	वर्तमान में प्रदान की जानी वाली धनराशि
(अ)	सीमान्त कृषक एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ भूमि रखने वाले को	अधिकतम् रू0 30,000.00 अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो
(ब)	लघु कृषक एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2. 5 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि रखने वाले को	अधिकतम् रू0 40,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो
(स)	सामान्य कृषक 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले को।	अधिकतम् रू0 50,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत किसानों की खड़ी फसल भी अग्निकाण्ड दुर्घटना में शामिल है तथा जहॉ किसी एक अग्निकाण्ड दुर्घटना में सहायता की धनराशि रू0 1.00 लाख (एक लाख) मात्र से अधिक आंकलित होती है, तो उन दावों का निपटारा जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से किया जाता है।

(4–ख) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजनाः– मण्डी क्षेत्र के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी समिति/परिषद के मजदूरों जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है अथवा कृषि संबंधी बिजली उपकरणों अथवा कुँओं की खुदाई अथवा गहराई बढ़ाने हेतु कार्यरत हैं अथवा ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थ्रेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते

समय दुर्घटना ग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

कमांक	दावे का प्रकार	देय धनराशि
(1)	दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर	रू0 2,00,000.00
(2)	दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों ऑखें या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर	रू0 70,000.00 75,000
(3)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक ऑख की क्षति होने पर	रू0 40,000.00
(4)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार ॲगुलियों की क्षति होने पर	रू0 30,000.00
(5)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ तीन ॲगुलियों की क्षति होने पर	रू0 25,000.00
(6)	ॲगूठे की क्षति होने पर	रू0 20,000.00
(7)	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो ॲगुलियों की क्षति होने पर	रू0 15,000.00
(8)	छोटी ॲगुली की क्षति होने पर	रू0 5,000.00

इस योजना के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 25.00 करोड़ का व्ययानुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 21.76 करोड़ व्यय किया गया है। तदनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए इस मद में रु0 30.00 करोड़ का व्ययानुमान किया गया है।

5. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना:–

किसानों के प्रतिभावान बच्चों को कृषि की उच्च शिक्षा हासिल कराने हेतु प्रोत्साहन के रूप में मण्डी परिषद द्वारा 03 कृषि विश्वविद्यालय, 24 कृषि महाविद्यालयों एवं 02 कृषि संस्थानों में स्नातक के छात्रों/छात्राओं को रू0 3,000.00 तथा शोधकर्ता छात्रों को रू0 6,000.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति निम्नानुसार दी जा रही है:–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम स्तर	कृषि विश्वविद्यालय का विवरण		
		प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय/ कृषि संस्थान हेतु छात्र/ छात्राओं की सं0	प्रत्येक कृषि महाविद्यालय हेतु छात्र/ छात्राओं की सं0	प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में होम साईन्स में अध्ययनरत छात्राओं की सं0
1.	स्नातक स्तर के	25	10	06
2.	स्नातकोत्तर स्तर के	10	05	04

इस योजना के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 3.35 करोड़ का व्ययानुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 3.03 करोड़ व्यय किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस योजना हेतु रू0 5.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

6. अध्ययन योजना:–

भारत भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के कृषकों को अन्य राज्यों की मण्डी समितियों एवं

उपजों की बिक्री आदि की जानकारी दिलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 में इस मद में रू0 0.10 करोड़ का व्ययानुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक कोई व्यय नहीं किया गया है। तदनुसार उपरोक्त के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु रू0 2.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

7. मोटर वाहनों का क्रयः–

इस लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित होने वाले वाहनों के स्थान पर नए वाहन क्रय करने हेतु रू0 0.50 करोड़ का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2017–2018 में किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक कोई व्यय नहीं किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में निष्प्रयोज्य घोषित होने वाले वाहनों के स्थान पर नए वाहन क्रय किये जाने हेतु रू0 1.00 करोड़ के प्राविधान का प्रस्ताव है। यह वाहन आवश्यकतानुसार शासनादेशों का अनुपालन करते हुए क्रय किये जायेंगे।

8. परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन अग्रिमः–

इस मद के अन्तर्गत मण्डी परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि क्रय/भवन क्रय/भवन निर्माण एवं अनुरक्षण के लिये अग्रिम प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 0.30 करोड़ का व्ययानुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.10 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए रू0 0.20 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

9. फसलोत्तर प्रबन्धन (पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट)–

कृषकों के फसलोत्तर प्रबन्धन सम्बन्धी नई तकनीकी जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा यह योजना लागू की गयी है। जिसमें कृषकों को फसल की मड़ाई के बाद उसकी बेहतर सुरक्षा, बाजार में लाने, उसकी बिक्री तथा उपभोक्ताओं तक उसकी गुणता की जानकारी सुलभ कराने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए रू0 2.00 करोड़ का व्ययानुमान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक कोई व्यय नहीं किया गया है। इस मद से ऋण मोचन योजनान्तर्गत परिवहन निगम को भुगतान हेतु रू0 1.00 करोड़ की धनराशि विज्ञापन एवं प्रचार मद में पूरक बजट के रूप में प्राविधानित की गयी है। अतः इस वर्ष का पुनरीक्षित प्राविधान रू0 1.00 करोड़ प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में उपरोक्त के साथ–साथ किसानों द्वारा क्रय की जाने वाली मशीनों पर अनुदान एवं किसानों को उपहार स्वरूप छोटे उपकरण उपलब्ध कराये जाने के व्यय सहित इस मद में रू0 5.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

10. मैंगो पैक हाऊस का संचालनः–

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में लखनऊ एवं सहारनपुर में निर्मित मैंगो पैक हाऊस के सफल संचालन यथा–कोल्ड रूम, शार्टिंग ग्रेडिंग लाईन, राईपनिंग चेम्बर, जनरेटरों की सर्विसिंग, हाट वाटर स्ट्रेलाईसर बाथ, टेम्प्रेचर रिकार्डर आदि के वार्षिक संचालन एवं तत्सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकता हेतु रू0 0.20 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.02 करोड़ का व्यय किया गया है। अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2018–2019 की आवश्यकता हेतु उक्त मद में रू0 0.20 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। अनुरक्षण/मरम्मत/निर्माण आदि का कार्य मण्डियों के निर्माण कार्यो हेतु परिषद निधि/निर्माण के बजट में प्राविधानित धनराशि से किये जाने का प्रस्ताव है।

11. कृषि उत्पादों के निर्यात फैसिलीटेशनः–

मण्डी परिषद में कृषि विपणन एवं निर्यात के विशेषज्ञ सलाहकारों का पैनल चयनित कर बाजार का अध्ययन कराने, रोड शो, क्रेता–विक्रेता सम्मेलन/सेमिनार/वर्कशाप/प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के आयोजन तथा नवाब ब्राण्ड आम/ताज ब्राण्ड आलू के विपणन/निर्यात प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट में रू0 2.50 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.82 करोड़ का व्यय किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु उक्त मद में रू0 1.50 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

12. मण्डी समितियों में निर्मित गेस्ट हाऊस के संचालन हेतुः–

मा0 संचालक मण्डल की 130वीं बैठक दिनांक 20.01.09 में प्रदेश में निर्मित अतिथि गृहों के संचालन/रखरखाव हेतु "जाब कान्टैक्ट बेसिस" पर न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर श्रम विभाग की समय–समय पर लागू दरों के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई तथा अतिथियों के खान–पान के प्रबन्धन आदि की व्यवस्था परिषद निधि से स्वीकृत की गयी है। उक्त व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 हेतु रू0 1.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.68 करोड़ व्यय किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए इस मद में रू0 1.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। अनुरक्षण/मरम्मत एवं फर्नीचर क्रय आदि का कार्य मण्डियों के निर्माण कार्यो हेतु परिषद निधि/निर्माण के बजट में प्राविधानित धनराशि से किये जाने का प्रस्ताव है।

13. मण्डी परिषद/मण्डी समितियों का कम्प्यूटराईजेशनः–

मण्डी परिषद के समस्त 59 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मण्डी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन,

कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की स्थापना, परिषद मुख्यालय पर स्थापित सर्वर, नेटवर्क के वार्षिक अनुरक्षण, इण्टरनेट लीजलाईन कनेक्टिविटी, वेबसाईट एवं साफ्टवेयर की स्थापना/संचालन आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 27.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 1.65 करोड़ का व्यय किया गया है। इस मद से बाजार हस्तक्षेप योजनान्तर्गत आलू क्रय हेतु पी0सी0एफ0 आदि संस्थाओं को ऋण दिये जाने हेतु रू0 4.00 करोड़ की धनराशि बाजार हस्तक्षेप योजना मद में पूरक बजट के रूप में प्राविधानित की गयी है। अतः इस वर्ष का पुनरीक्षित प्राविधान रू0 23.00 करोड़ प्रस्तावित है। प्रदेश की कुल 251 विनियमित मण्डी समितियों में अभी तक 219 मण्डी समितियों में ही मण्डी स्थल निर्मित हैं। अतः मण्डी परिषद के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग/इण्टरनेट, ई–ऑक्शन/ई–आफिस/ई–मण्डी वेबसाईट, काल सेन्टर, शासन की अपेक्षानुसार प्रदेश की निर्मित मण्डियों में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण तथा इण्टरनेट एवं स्थानान्तरित मण्डी यार्डों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा तथा कम्प्यूटराईजेशन से सम्बन्धित अन्य कार्यों हेतु कुल रू0 15.00 करोड़ का प्राविधान आलोच्य वित्तीय वर्ष 2018–2019 में प्रस्तावित है।

14. मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना:–

इस योजना के व्ययभार का प्राविधान मण्डी समितियों के अधिष्ठान/आवश्यक खर्चो हेतु अनुदान मद में सम्मिलित है।

15. मण्डी समितियों में ई–नेम की परियोजना (केन्द्रीय अनुदान):–

भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट परियोजना के अन्तर्गत चयनित मण्डी समितियों में कम्प्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–2018 में उक्त परियोजना हेतु रू0 17.49 करोड़ के व्यय का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष व्यय हेतु रू0 14.83 करोड़ की धनराशि विभिन्न मण्डी समितियों को अन्तरित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस मद में गत वर्ष की अवशेष धनराशि रू0 12.86 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

16. मण्डी समितियों को अनुदान (भूमि अध्याप्ति हेतु):–

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में इस मद में रू0 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 9.99 करोड़ का व्यय किया गया है। तदनुसार नवीन मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों के निर्माणार्थ अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर एवं भूमि क्रय किये जाने हेतु

वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु इस मद में रू0 10.00 करोड़ के प्राविधान का प्रस्ताव है।

17. मण्डी समितियों को अनुदान (मण्डी समितियों के अधिष्ठान एवं अन्य व्यय हेतु):–

वित्तीय दृष्टिकोण से कमजोर मण्डी समितियों को, समिति निधि एवं मण्डी विकास निधि में धनराशि नगण्य होने की स्थिति में, अधिष्ठान (वेतन) एवं अन्य अपरिहार्य व्ययों हेतु परिषद निधि से अनुदान के रूप में धनराशि दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 23.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 19.36 करोड़ का व्यय किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु इस मद में रू0 20.00 करोड़ के प्राविधान का प्रस्ताव है।

18. अनुरक्षण एवं निर्माण (किसान मण्डी भवन एवं आवासीय कालोनी):–

इस मद के अन्तर्गत किसान मण्डी भवन एवं आवासीय कालोनी,गोमती नगर के सिविल/वि0यॉ0 अनुरक्षण के कार्य तथा निर्माण खण्ड (मु0)/वि0यॉ0, खण्ड,लखनऊ में कार्यरत गैर नियमित कर्मचारियों का वेतन/चिकित्सा व्यय भी सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 7.97 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 2.82 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में उक्त मद में रू0 10.05 करोड़ (अवशेष कार्यो हेतु रू0 2.29 करोड़+नये कार्यो हेतु रू0 7.76 करोड़) का प्राविधान प्रस्तावित है।

विवरण निम्नवत् है:– (धनराशि करोड़ रू0 में)

कमांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	किसान मण्डी भवन/आवासीय कालोनी का सिविल अनुरक्षण/निर्माण तथा शासन द्वारा कराये जाने वाले सिविल अनुरक्षण के छुट–पुट कार्य आदि	4.37
2.	किसान मण्डी भवन/आवासीय कालोनी का वि0यॉ0 अनुरक्षण/निर्माण तथा शासन द्वारा कराये जाने वाले विद्युत सम्बन्धी छुट–पुट कार्य आदि	5.68
	कुल योग	10.05

19. मण्डी परिषद के ए0पी0सेन रोड स्थित पुराने कार्यालय भवन की जमीन पर नव भवन का निर्माण:–

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट में मण्डी परिषद के ए0पी0सेन रोड स्थित पुराने कार्यालय भवन की जमीन पर नए भवन के निर्माण मद में कुल रू0 3.10 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.09 करोड़ का व्यय किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस मद में रू0 2.93 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

20. मण्डी परिषद के सम्भागीय कार्यालयों के निर्माण एवं परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत भवनों का निर्माण/मरम्मत एवं अनुरक्षण:-

मण्डी परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों (उप निदेशक प्रशा0/विप0 एवं निर्माण/वि0यॉ0) एवं सम्भाग स्तर पर निर्मित आवासीय भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण कराये जाने हेतु एवं पुराने अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कुल रू0 0.30 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक कोई व्यय नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मण्डी परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की मरम्मत/अनुरक्षण आदि का कार्य कराये जाने हेतु रू0 1.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

21. मण्डी स्थल के कार्य:-

मण्डी स्थल के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रू0 23.70 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 5.14 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस मद में रू0 24.81 करोड़ (अवशेष कार्यो हेतु रू0 14.81 करोड़+नये कार्यो हेतु रू0 10.00 करोड़) का प्राविधान प्रस्तावित है।

22. जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना:-

जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना मद में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अवशेष कार्यो हेतु रू0 103.08 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 43.23 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस मद में रू0 49.11 करोड़ का प्राविधान मात्र अवशेष कार्यो हेतु प्रस्तावित है।

23. सं0 मार्ग की मरम्मत:-

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सभी गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने हेतु लिये गये निर्णय के कम में मण्डी परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गो को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रू0 145.00 करोड़ के व्यय का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 51.75 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस योजना हेतु अवशेष कार्यो हेतु रू0 64.99 करोड़ का प्राविधान परिषद निधि से प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना हेतु रू0 566.22 करोड़ (अवशेष कार्यो हेतु रू0 466.22 करोड़+नये कार्यो हेतु रू0 100.00 करोड़) की धनराशि निर्माण बजट (भाग-2) में प्रस्तावित की जा रही है।

24. शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावास निर्माण:–

मा0 संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 में कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उपयोगार्थ शासकीय संस्थानों में आवश्यकतानुसार छात्रावासों के निर्माण हेतु बजट प्राविधान किये जाने के निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–2019 में रू0 25.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

25. आलू, चना, मसूर एवं सरसों आदि के क्रय हेतु ऋण (बाजार हस्तक्षेप योजना):–

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या–725(1)/ 58–2017 दिनांक 10.04.2017 के बिन्दु संख्या–11 में लिये गये निर्णयानुसार कुल रू0 6.00 करोड़ में से रू0 2.00 करोड़ हाफेड को, रू0 1.00 करोड़ यू0पी0 एग्रो, रू0 1.00 करोड़ पी0सी0एफ0 को एवं शेष रू0 2.00 करोड़ आवश्यकतानुसार संस्थाओं की मांग पर मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

तत्क्रम में विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या–664/80–1–2017–600(12)/2009 दिनांक 21 अप्रैल, 2017 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में आलोच्य वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रू0 4.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित किया गया था। कार्य की तात्कालिक आवश्यकता एवं अपरिहार्यता को दृष्टिगत कर वित्तीय वर्ष के अन्त तक हाफेड, यू0पी0 एग्रो एवं पी0सी0एफ0 को कुल रू0 8.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः इस वर्ष का पुनरीक्षित प्राविधान रू0 8.00 करोड़ प्रस्तावित है।

इसी प्रकार आलोच्य वित्तीय वर्ष 2018–2019 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मौसम की फसल– चना, मसूर एवं सरसों के क्रय की व्यवस्था के सम्बन्ध में पी0सी0एफ0 को रू0 7.00 करोड़ की धनराशि दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में रू0 1.00 करोड़ पूर्व में दिये गये आलू क्रय हेतु ऋण को समायोजित करते हुए कुल रू0 6.00 करोड़ की धनराशि पी0सी0एफ0 को अवमुक्त कर दी गयी है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में इस मद में रू0 15.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है।

(भाग–2)

(निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2017–2018 का पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान

(Revised Budget Estimate)

तथा

वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक अनुमान

(Budget Estimate)

विकास कार्यो हेतु (मण्डी विकास निधि/केन्द्रीय मण्डी निधि) में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय–व्ययक अनुमान

(धनराशि करोड़ रू0 में)

प्राप्तियां					
क0 सं0	प्राप्तियों के मद	वित्तीय वर्ष 2016–17 की वास्तविक प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्राविधानित प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2017–18 की वास्तविक प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2018–19 की अनुमानित प्राप्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	मण्डी विकास निधि	698.00	833.80	856.47	721.05
2	केन्द्रीय मण्डी निधि (विकास सेस)	209.63	241.00	266.84	339.22
3	बुन्देलखण्ड एग्री मार्केटिंग के विकास/निर्माण हेतु केन्द्रीय अनुदान	0.00	68.81	26.37	0.00
4	मत्स्य विकास निगम से अनुदान	0.41	0.09	0.04	0.00
5	बी0जी0आर0ई0आई0 से अनुदान (गोदाम निर्माण हेतु)	0.00	5.69	6.63	0.00
	योग	**908.04**	**1149.39**	**1156.35**	**1060.27**
	आरम्भिक अवशेष	**1227.96**	**1000.08**	**1000.08**	**1329.51**
	कुल योग	**2136.00**	**2149.47**	**2156.43**	**2389.78**

(धनराशि करोड़ रू0 में)

व्यय						
क्र0 सं0	व्यय के मद	वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट प्राविधान (पुनरीक्षित)	वित्तीय वर्ष 2017–18 का वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	मण्डी स्थल के कार्य	290.45	594.77 (235.77+359.00)	514.56 (235.77+278.79)	110.67	612.50 (462.50+150.00)
2	ग्रामीण हाट पैठ का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 (0.00+50.00)
3	आधुनिक किसान मण्डी	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00 (0.00+150.00)
4	कृषक सेवा केन्द्र	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	किसान बाजार	57.01	45.45 (35.45+10.00)	37.30 (35.45+1.85)	4.09	33.21 (33.21+0.00)
6	एग्री मार्केटिंग हब का कार्य	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
7	जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना	472.96	297.83 (297.83+0.00)	268.56 (268.56+0.00)	138.83	129.73 (129.73+0.00)
8	सम्पर्क मार्ग (नवीन)	8.53	14.97 (14.97+0.00)	13.96 (13.96+0.00)	2.12	36.84 (11.84+25.00)
9	सम्पर्क मार्ग (मरम्मत)	32.15	664.54 (9.54+655.00)	718.87 (9.54+709.33)	252.65	566.22 (466.22+100.00)
10	बुन्देलखण्ड एग्री0 मार्केटिंग विकास/निर्माण	62.63	102.42 (87.90+14.52)	59.98 (59.98+0.00)	33.61	26.37 (26.37+0.00)
11	मत्स्य बाजार का निर्माण	0.69	0.22 (0.22+0.00)	0.22 (0.22+0.00)	0.22	0.00
12	आई0क्यू0एफ0यूनिट झाँसी का निर्माण	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13	गोदाम निर्माण (बी0जी0आर0ई0आई0 से अनुदान)	1.63	7.85 (1.36+6.49)	8.79 (1.36+7.43)	1.17	7.62 (7.62+0.00)
14	मण्डी समितियों के लिए भूमि क्रय/प्रतिकर हेतु	9.82	50.00	50.00	4.84	100.00
15	मण्डी समितियों के अधिष्ठान /आवश्यक खर्चो हेतु अनुदान	189.59	365.00	365.00	275.47	300.00
16	सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान	7.11	5.50	5.50	3.25	3.00
	योग	**1135.92**	**2148.55**	**2042.74**	**826.92**	**2015.49**
	बचत	**1000.08**	**0.92**	**106.73**	**1329.51**	**374.29**
	कुल योग	**2136.00**	**2149.47**	**2149.47**	**2156.43**	**2389.78**

वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय व्ययक अनुमान (Budget Estimate)

मण्डी स्थलों के निर्माण हेतु विधिक स्थितिः

मण्डी समितियों के आय का प्रमुख श्रोत मण्डी शुल्क है। मण्डी शुल्क के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि इसका उपयोग उसी मण्डी क्षेत्र के विकास करने में किया जायेगा जहॉ से उसे प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार मण्डी शुल्क के विषय में "क्वीड प्रो क्यो " का सिद्वान्त लागू होगा और मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थानुसार मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का दो तिहाई से तीन चौथाई भाग सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के विकास कार्यो में व्यय किया जाना अनिवार्य है।

विकास कार्य एक दृष्टि में :–

मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों एवं उपमण्डी स्थलों को विकसित करना, मण्डी समितियों के मुख्य कर्तव्यों में से एक हैं, जिससे कृषकों तथा व्यापारियों को कम से कम दूरी पर समस्त सुविधाओं से युक्त विपणन केन्द्र उपलब्ध हों एवं कृषकों को उनकी उपज का नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभप्रद मूल्य दिलाया जा सके। उक्त प्रयोजन हेतु प्रदेश की विनियमित 251 मण्डी समितियों में से 219 मुख्य मण्डी स्थल, विनियमित 372 उपमण्डी स्थलों मे से 93 उपमण्डी स्थल, 225 हाट पैठ तथा 1643 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0), बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 06 विशिष्ट मण्डी स्थलों, 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रो का निर्माण कराया जा चुका है। मण्डी समितियो के क्षेत्रान्तर्गत 72 फल एवं सब्जी मण्डी, 05 मत्स्य बाजार, 05 दुग्ध मण्डियों एवं 87 नग किसान सेवा केन्द्र का निर्माण भी पूर्ण कराया गया है। माह मार्च, 2018 तक जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 6840 ग्रामों में विकास कार्य कराया जा चुका है।

निर्माण सम्बन्धी परियोजनायें, जिनकी निर्माण अवधि अगले वित्तीय वर्ष तक विस्तारित होने की स्थिति में अगले वर्ष की सम्बन्धित मण्डी समिति की मण्डी विकास निधि की सम्भावित आय एवं विकास सेस आदि की आय से भी परियोजनायें स्वीकृत की जाती हैं तथा उपरोक्त स्वीकृत परियोजनायें आगामी वर्ष के बजट हेतु वचनबद्ध दायित्व होती हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्मित 7200.00 किमी0 के सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य माह–मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक रू0 278.89 करोड़ की धनराशि के क विशिष्ट एवं क श्रेणी तथा ख एवं ग श्रेणी के मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत कार्य की परियोजनाए तथा रू0 816.00 करोड़ के गड्ढामुक्ति योजना के पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कार्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई। बी0जी0आर0ई0आई0 से वित्त पोषित गोदामों हेतु रू0 7.13 करोड़ की स्वीकृतियाँ प्रदान की गयी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित विकास कार्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु मण्डी परिषद निर्माण शाखा के कार्यो को 05 भागों में वर्गीकृत किया गया है :–

- **वर्तमान मण्डी स्थलों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य**
- **नवीन मण्डी स्थलों के निर्माण का कार्य**
- **गड्ढ़ामुक्त सम्पर्क मार्ग योजना**
- **पूर्ववर्ती निर्माणाधीन कार्य**
- **आधुनिक किसान मण्डी हेतु कार्य एवं अन्य नवीन कार्य**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में प्रस्तावित मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के कार्य

क्र0	गत वर्ष के अवशेष कार्य जो पूर्ण कराये जाने है।	लागत (रू0 करोड़ में)	क्र0	भूमि की उपलब्धता पर सम्भावित परियोजनाएं	लागत (रू0 करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
	मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल			मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल	
1	विशिष्ट आम मण्डी स्थल मलिहाबाद (लखनऊ)	56.25	1	नवीन मण्डी स्थल, भिनगा (श्रावस्ती)	5.00
2	विशिष्ट आलू मण्डी स्थल ठठिया (कन्नौज)	82.92	2	नवीन मण्डी स्थल जरार (आगरा)	6.00
3	नवीन मण्डी स्थल बिसवॉ (सीतापुर)	1.28	3	नवीन मण्डी स्थल शमशबाद (आगरा)	6.00
4	नवीन मण्डी स्थल शमशाबाद (आगरा) की चहारदीवारी	0.67	4	नवीन मण्डी स्थल ईस्लामनगर (बदायूँ)	6.00
5	उप मण्डी स्थल रानीगंज बैरिया (बलिया)	1.49	5	नवीन मण्डी स्थल कुशीनगर एवं बड़हलगंज, बीघापुर (उन्नाव)	18.00

1	2	3	4	5	6
6	उप मण्डी स्थल महराजगंज (परतावल) की चहारदीवारी	1.99	6	उप मण्डी स्थल महराजगंज (परतावल)	5.00
7	अतिरिक्त मण्डी स्थल आगरा	4.86	7	उप मण्डी स्थल बिलसण्डा (बीसलपुर)	5.00
			8	उप मण्डी स्थल पट्टी (प्रतापगढ़)	5.00
8	निर्मित मण्डी स्थलों के विस्तार मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण	327.85	9	उप मण्डी स्थल केसरी (बिलासपुर)	5.00
			10	अतिरिक्त मण्डी स्थल मैनपुरी	15.00
			11	आधुनिक किसान मण्डी	150.00
			12	ग्रामीण हाट पैठ का निर्माण	50.00
			13	निर्मित मण्डी स्थलों के विस्तार मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण	84.00
	योग	**477.31**		**योग**	**360.00**

1. मण्डी स्थलों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य –

विगत 10 वर्षो में मण्डी स्थलों के आन्तरिक सुदृढ़ीकरण, अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य उपेक्षित रहे हैं। गत वर्ष लम्बे अन्तराल के बाद इस मद में रू0 278.89 करोड़ की योजनायें स्वीकृत की गयी है, जो कि प्रदेश के 251 मण्डी स्थलों को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त अपर्याप्त हैं। इस दिशा में मण्डी स्थल के भवनों, आन्तरिक सड़कों एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निम्नलिखित विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेगें :–

(क) ई–नैम भवन –

प्रदेश के 100 मण्डी स्थलों में भारत सरकार की प्रेरणा से चलाई जा रही ई–नैम योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इस सुविधा के विकास हेतु प्रदेश के 25 मण्डी स्थलों में ई–नैम के समस्त कार्यकलापों को एक छत के नीचे लाने के लिए ई–नैम भवन का निर्माण कराया जायेगा।

(ख) W.D.R. A. के अतर्गत भण्डारण क्षमता का विकास –

कृषकों के **Non Perishable** उत्पादों का सही मूल्य बाजार में उपलब्ध न होने की दशा में, उन्हे अपनी उपज की बाध्य विकी हेतु मजबूर होना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए **W.D.R.A** योजना के अन्तर्गत किसानों के उत्पाद को सुरक्षित भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु Negotiable Warehouse Receipt की व्यवस्था **W.D.R.A ACT** में उपलब्ध है एवं इस हेतु योजना को मूर्त रूप दिया जायेगा।

(ग) कोल्ड रूम/राइपनिंग चैम्बर्स –

प्रदेश में किसानों की फल एवं सब्जी के उत्पाद के लघुकालीन भण्डारण एवं केला, आम, टमाटर आदि की राईपनिंग हेतु आवश्यकतानुसार कोल्ड रूम एवं राइपनिंग चैम्बर बनाये जायेगें।

(घ) बाजार दरों को उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटराइज्ड टिकर बोर्ड –

मण्डी स्थलों में किसानों को आस–पास की अन्य मण्डियों के बाजार भाव उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटराइज्ड डिस्प्ले बोर्ड (टिकर बोर्ड) स्थापित किये जायेगें।

(ङ) पर्यावरण संतुलन एवं ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु पुनर्नवी उर्जा को बढ़ावा –

पर्यावरण संतुलन एवं उर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु पुनर्नवी (सौर उर्जा) का उत्पादन कर मण्डी स्थलों में विद्युत व्यवस्था हेतु आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

(च) बायो मास रिसाइकिलिंग –

फल–सब्जी मण्डी स्थलों से निकलने वाले कूड़े–कचरे के प्रबन्धन हेतु Solid waste योजना लागू की जायेगी।

(छ) कृषकों को पेय जल एवं विश्राम की व्यवस्था –

मण्डी स्थलों में कृषकों की सुविधा हेतु स्वागत कक्ष, जहॉ आर0ओ0 युक्त वाटर कूलर, किसान विश्राम गृह, पे एण्ड यूज के आधार पर शौचालय तथा स्वच्छता के दृष्टिकोण से हरे व नीले कूडेदान रखे जायेंगे। ताकि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कूडे का पृथकीकरण किया जा सके।

(ज) फायर फाइटिंग एवं सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था –

मण्डी स्थलों में किसानों एवं व्यापारियों की सुरक्षा हेतु फायर फाइटिंग एवं सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

(झ) एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु वी0एच0टी0, आई0क्यू0एफ0 एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना–

किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने एवं विभिन्न प्रदेशों एवं विदेश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु मण्डी स्थलों में वी0एच0टी0, आई0क्यू0एफ0 एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

(ञ) तौलाई व्यवस्था हेतु वे ब्रिजेज की स्थापना–

तौलाई हेतु वे–ब्रिजेज की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाते हुए सी0सी0टी0वी0, सेन्सर एवं बूम बैरियर के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिकीकृत किया जायेगा।

2. नवीन मण्डी निर्माण–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में गत वर्ष के अवशेष विशिष्ट आम मण्डी स्थल, मलिहाबाद, विशिष्ट आलू मण्डी स्थल ठठिया (कन्नौज), नवीन मण्डी स्थल, बिसवॉ (सीतापुर), नवीन मण्डी स्थल, शमशाबाद (आगरा) की चहारदीवारी, अतिरिक्त मण्डी स्थल, आगरा, उपमण्डी स्थल, रानीगंज बैरिया (बलिया), उपमण्डी स्थल, महराजगंज (परतावल) की चहारदीवारी के कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त पूर्व में मण्डी स्थल निर्माण हेतु क्रय/अधिग्रहीत किये गये भू–खण्डों यथा–भिनगा(श्रावस्ती), शमशाबाद (आगरा) जरार(आगरा), इस्लामनगर(बदायूँ), कुशीनगर में नवीन मण्डी स्थलों महराजगंज (परतावल), बिलसंण्डा (बीसलपुर), पट्टी (प्रतापगढ़), कैमरी (बिलासपुर), बीघापुर (उन्नाव), बड़हलगंज में उप मण्डी स्थलों, मैनपुरी में अतिरिक्त मण्डी स्थल एवं राठ (हमीरपुर) में फल–सब्जी मण्डी स्थल का निर्माण कराया जायेगा। जनपद के विशिष्ट कृषि उत्पादों को दृष्टिगत रखते हुए, उस विशेष उत्पाद से किसानों को अधिक मूल्य प्रदान करने हेतु मूल्य संवर्धन व्यवस्था की जायेगी यथा – जनपद मैनपुरी में लहसुन एवं पट्टी (प्रतापगढ़) में ऑवला हेतु मूल्य संवर्धन प्रणाली को लागू किया जायेगा तथा इस हेतु रू0 25.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

3. सम्पर्क मार्ग (मरम्मत) –

मण्डी परिषद द्वारा पूर्व में निर्मित सम्पर्क मार्गो को वर्ष 2017–18 में गड्ढ़ामुक्ति योजना के अन्तर्गत 7200 किमी0 मार्गो को गड्ढ़ामुक्त कराया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 100.00 करोड़ की लागत से मण्डी परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गो की मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है।

4. अन्य पूर्ववर्ती निर्माण कार्य–

विगत वर्षो की चली आ रही बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत रू0 26.37 करोड़ की देयता तथा विशिष्ट मण्डी कर्वी (चित्रकूट) एवं ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र बाघा (बॉदा) का कार्य अवशेष हैं, जिन्हे इसी वर्ष पूर्ण कराया जायेगा। इसी प्रकार जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत रू0 178.89 करोड़ की देयता अवशेष है, जिसे इसी वर्ष व्यय किया जायेगा। किसान बाजार योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति हरदोई, बहराइच एवं तिर्वा (कन्नौज) के कार्यो को पूर्ण कराया जायेगा। **BGREI** योजना के अन्तर्गत कुल अनुमोदित 11 नग गोदामों में से 04 नग गोदाम वर्ष 2016–17 के स्वीकृत है, जिनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 07 नग गोदाम वर्ष 2017–18 के स्वीकृत हुए है, जिन पर कार्य प्रगति में है एवं

इनको इस वर्ष पूर्ण कराया जायेगा।

5. आधुनिक किसान मण्डी हेतु कार्य एवं अन्य नवीन कार्य –

(1) उन्नत किसान मण्डी के अन्तर्गत 25 मण्डी स्थलों में रू0 6.00 करोड़ प्रति मण्डी की लागत से कुल रू0 150.00 करोड़ का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

क्रमांक	प्रस्तावित कार्य का विवरण
1	**दो मंजिला भवन–01 नग क्षेत्रफल 15 मी0×09 मी0** 1. स्वागत कक्ष, हैल्प बूथ डेक्स, शौचालय, आर0ओ0 सिस्टम के साथ वाटर कूलर की व्यवस्था, अमूल/पराग बूथ सेल काउन्टर का निर्माण – भूतल 2. किसान विश्राम गृह, डोरमेट्री एवं शौचालय – प्रथम तल
2	मण्डी परिसर में हरित उर्जा का प्रयोग/सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन
3	25 मी0टन क्षमता का 01 नग कोल्ड रूम तथा प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर के साथ 10 मी0टन क्षमता के 05 नग राइपनिंग चेम्बर का निर्माण
4	मण्डी परिसर में पेस्टी साइड रेजीडयूल टेस्टिंग लैब की स्थापना एवं संचालन का कार्य
5	मण्डी परिसर में कैन्टीन, जल पान गृह/ढ़ाबा का निर्माण क्षेत्रफल 15 मी0×09 मी0
6	आधुनिक शौचालय का निर्माण (10 सीट) 01 नग
7	मण्डी परिसर में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम की स्थापना
8	ई–नेम आफिस का निर्माण एवं साज सज्जा का कार्य (छायादार नीलामी चबूतरे को परिवर्तित करते हुये)
9	मण्डी परिसर में आन्तरिक मार्गो एवं भवनों पर साइनेज की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य
10	मण्डी परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे आदि की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य
11	मण्डी परिसर में सूचना पट (टिकर बोर्ड) आदि की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य
12	ड्राइवर रेस्ट रूम टायलेट की सुविधा सहित निर्माण कार्य
13	मण्डी परिसर में पशुओं हेतु कैटिल शेड एवं कैटिल वाटर ट्रफ का निर्माण कार्य
14	बायो मास रिसाईकलिंग (Bio mass recycling)
15	अन्य विविध आवश्यक कार्य

(2) मा0 मुख्य मंत्री जी की अपेक्षानुरूप राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों एवं महा विद्यालयों में कृषि विज्ञान एवं कृषि से संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 50 कक्षों के छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जायेगा जिसके लिए परिषद निधि से रू0 25.00 करोड़ का प्राविधान इस वर्ष किया गया है।

(3) निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु 04 जोनल कार्यालयों में गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायगी।

(4) अन्य कार्य सम–सामयिकता के आधार पर।

6. मत्स्य बाजार का निर्माण:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मत्स्य बाजार हेतु रू0 0.22 करोड का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष वर्ष की समाप्ति तक रू0 0.22 करोड का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस मद में कोई प्राविधान प्रस्तावित नहीं है।

7. मण्डी समितियों के लिए भूमि क्रय/प्रतिकर हेतु:–

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में इस मद में रू0 50.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2018 तक रू0 4.34 करोड़ व्यय किया गया है। तदनुसार मण्डियों के निर्माणार्थ भूमि क्रय/प्रतिकर एवं मा0 न्यायालय में विचाराधीन वादों तथा याचिका/आश्वासन समिति आदि से सम्बन्धित प्रकरणों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु इस मद में रू0 100.00 करोड़ के प्राविधान का प्रस्ताव है।

8. मण्डी समितियों के अधिष्ठान/आवश्यक व्ययों हेतु अनुदान:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस मद में रू0 365.00 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2018 तक रू0 275.47 करोड़ का व्यय किया गया है। इस मद के अन्तर्गत विभिन्न मण्डी समितियों के अधिष्ठान (वेतन) एवं अन्य आवश्यक व्ययों हेतु धनराशि मण्डियों को अवमुक्त की जाती है।

इस मद में मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत 35.00 हार्स पावर ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, पावर ड्राईवेन हार्वेस्ट, पम्पिंग सेट, स्प्रेयर आदि कृषकों को ईनामी कूपन के माध्यम से वितरित किये जाने की धनराशि भी सम्मिलित है। इसी प्रकार मण्डी समितियों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पैकेजिंग व्यवस्था में सुधार के लिए प्लास्टिक केट्स क्रय हेतु अनुदान, फल सब्जी को खराब होने से बचाये जाने हेतु त्रिपाल हेतु अनुदान, हाथ से छनाई करने की अपेक्षा मशीन के माध्यम से छनाई कराने हेतु मशीनें लगाने/संचालित किये जाने एवं गौ–सेवा आयोग हेतु अनुदान दिये जाने वाली धनराशि, आम/आलू के परिवहन भाड़ा अनुदान एवं विभिन्न मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित किसान बाजार के प्रबन्धन एवं संचालन का वित्त पोषण परिषद निधि के अतिरिक्त इस मद से भी किये जाने का प्रस्ताव है। शासन के पत्र संख्या–6/2017/139/29–5–2017–5 (1)/17 दिनांक 31.03.2017 द्वारा समर्थन मूल्य के अतिरिक्त गेहूँ क्रय केन्द्रों पर उतराई एवं छनाई हेतु रू0 10.00 प्रति कु0 की दर से प्रतिपूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गयें हैं। इस मद में आने वाले अनुमानित व्यय रू0 80.00 करोड़ की धनराशि भी उक्त प्राविधान में सम्मिलित है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उपरोक्त व्ययों के दृष्टिगत रू0 300.00 करोड़ के प्राविधान का प्रस्ताव है।

9. सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान:–

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु रू0 5.50 करोड़ का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष मार्च, 2018 में रू0 3.25 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु इस मद में रू0 3.00 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक परि0बै0/155वीं/2018-720 दिनांक 09/8/2018

1— वित्त नियंत्रक
2— मुख्य अभियन्ता ग्रेड— 2
3— उप निदेशक(प्रशा0/विप0) बी/आर/सी
4— सिस्टम एनालिस्ट
5— अपर अनुश्रवण अधिकारी

कृपया मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 का कार्यवृत्त संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अनुभाग से सम्बन्धित प्रस्तावों, बैठक में मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये अन्य प्रस्ताव पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय/दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराकर अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मद संख्या	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय	अनुपालन आख्या

संलग्नक उपरोक्तानुसार

9.8.18
(रमाकान्त पाण्डेय)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि—अनुभाग अधिकारी अधिष्ठान—क, विपणन—1,2 एवं 3/निर्माण/भूमि अध्याप्ति/लेखानुभाग/कम्प्यूटर सेल, मण्डी परिषद, मुख्यालय को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 के संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः मा0 मुख्य मंत्री सभाकक्ष,
पंचम तल, शास्त्री भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
बैठक का समयः सायं 05.30 बजे।

1	मा0 अध्यक्ष, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0।
2	श्रीमती स्वाती सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार।	विशेष आमंत्रित सदस्य	श्रीमती स्वाती सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार।
3	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	डा0 प्रभात कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त
4	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित सदस्य/ प्रतिनिधि	श्री प्रवीण कुमार लक्षकार विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग
5	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
6	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री अमित मोहन प्रसाद प्रमुख सचिव, कृषि विभाग।
7	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित सदस्य	श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
8	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद।
9	श्री अमित सिंह, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी	विशेष आमंत्रित सदस्य	श्री अमित सिंह, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
10	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री एम0वी0एस0 रामीरेड्डी निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0।
11	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।	प्रतिनिधि	डा0 अनिल कुमार, उप कृषि विपणन-सलाहकार, लखनऊ।
12	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री सोराज सिंह, निदेशक, कृषि विभाग।

13	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ।	सदस्य	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, उद्यान विभाग।
14	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री रमाकान्त पाण्डेय, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ।
15	सदस्य/ सचिव, निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	सदस्य/ सचिव	श्री रमाकान्त पाण्डेय, निदेशक, सदस्य/ सचिव।

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
1	मा0परिषद की 154 वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 की अनुपालन आख्या एवं कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी तथा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। 1. 154वीं बैठक के तिल निर्यात नीति संबंधी प्रस्ताव संख्या–4 के अनुसार शासन स्तर से शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराए जाने की अपेक्षा की गयी। 2. गुड़ खाण्डसारी से संबंधी प्रस्ताव संख्या–8 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त विषय निर्णय हेतु मा0 मंत्रि परिषद के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। निर्णय प्रतीक्षित है। इस विषय में योजना को चीनी वर्ष 2018–19 से ही लागू किए जाने के बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया। मा0 मंत्रि परिषद द्वारा प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिया जाना है। 3. कृषकों के लिए मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं विषयक प्रस्ताव संख्या–11 के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया गया तथा तदनुसार शासन स्तर से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा की गयी। 4. मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों के कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ देने विषयक प्रस्ताव संख्या–18 के विषय में अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
		शासन का आदेश निर्गत किया जा चुका है जिसमें विसंगति यह है कि इन कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ 01.01.2016 से न अनुमन्य करते हुए आदेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य किया गया है। इस विषय में अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा कहा गया कि यह त्रुटि है और इसे ठीक कराते हुए शीघ्र आदेश जारी करा दिए जायेंगे। 5. प्रस्ताव संख्या–19 के संबंध में मा0 संचालक मण्डल द्वारा लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से रिक्त पदों की भर्ती को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु अपेक्षा की गयी। 6. अन्य प्रस्ताव संख्या–02 के सम्बन्ध में मा0 संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि मण्डी स्थलों में पी0पी0पी0 माडल पर कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों को समिति द्वारा उपलब्ध करायी जा रही भूमि को ही इक्विटी के रूप माना जाए और इसके अतिरिक्त समितियों द्वारा अन्य कोई नकद धनराशि दिये जाने का औचित्य नहीं है। तद्नुसार संशोधित प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई।
2–अ	वित्तीय वर्ष 2017–2018 का पुनरीक्षित आय–व्ययक अनुमान (Revised Budget Estimate) तथा वित्तीय वर्ष 2018–2019 का आय–व्ययक अनुमान (Budget Estimate) सम्बन्धी प्रस्ताव।	प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि ग्रामीण हाटपैठ को विकसित किए जाने की योजना में जो हाटपैठों की संख्या 150 है उसे 500 रखा जाए और तद्नुसार इस मद में 150.00 करोड़ रूपये (रूपया एक सौ पचास करोड़) की व्यवस्था की जाए।
2–ब	प्रदेश की मण्डी समितियों की आय से सम्बन्धित माह जून, 2018 तक की प्रगति का प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा मण्डी समितियों की आय विषयक प्रगति

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
		अवलोकित की गयी।
3	नवीन मण्डी स्थल कुशीनगर के निर्माणार्थ 7.884 हे0 भूमि अधिग्रहण हेतु निर्धारित प्रतिकर की कुल धनराशि रू0– 21.05 करोड़ की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
4	उप मण्डी स्थल बड़हलगंज के निर्माणार्थ 3.910 हे0 भूमि क्रय करने हेतु जिला भू–मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित रू0–12.78 करोड़ की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
5	पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के हित में मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक क्रेटस एवम् निःशुल्क प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6	प्रदेश के ग्रामीण अचंलों में कृषि उत्पाद के क्रय–विक्रय हेतु 150 नग हाट–पैठ का निर्माण/विकास कराये जाने के संबन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 1. यह निर्णय भी लिया गया कि इसमें मनरेगा के अंश का भी उपयोग अधिकतम अनुमन्य सीमान्तर्गत करने का प्रयास किया जाए तथा प्रथम चरण में विकसित की जाने वाली हाठ–पैठों की संख्या 500 निर्धारित की जाए। 2. शासन की समग्र ग्राम योजना वाले ग्रामों में इस योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
7	प्रदेश की चयनित 25 मण्डियों को आधुनिक किसान मण्डी के रूप विकसित किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। 1. यह निर्देशित किया गया कि प्रदेश की मण्डियों की अवस्थापना सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है तथा व्यवस्था को साफ़ सुथरा, प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सुगम बनाये जाने की आवश्यकता है। 2. किसानों को उपज की बिक्री के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मण्डी स्थलों में उपलब्ध करायी जाएं। मण्डी की सड़कों को बेहतर बनाने के साथ ही प्लेटफार्मों की मरम्मत, पेयजल, प्रकाश, शौचालय, नियमित रूप से

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
		मण्डी स्थलों की सफाई, ड्रेनेज ठीक कराया जाना आदि की व्यवस्था की जाए। 3. मण्डी स्थलों की दीवारों पर वाल पेन्टिग/ राइटिंग के माध्यम से योजनाओं का प्रचार–प्रसार कराया जाए जिससे किसानों को राहत एवं जानकारी मिले। मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों की कार्यपद्धति में परिवर्तन, किसान और आम जनता को दृष्टिगोचर होना चाहिए। 4. जिन 25 मण्डियों को आधुनिक मण्डियों के रूप में विकसित किया जाना है उनके चयन हेतु अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उ0प्र0 को अधिकृत किया गया।
8	नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर के परिसर में स्थित पशु चिकित्सालय के अन्दर पशु चिकित्सा विभाग को रोग निदान लैब के निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
9	मण्डी स्थल में शत प्रतिशत अभिलेखीकरण सुनिश्चित करने एवं करापवंचन की शिकायतों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से प्रदेश की समस्त निर्मित 219 मण्डियों एवं 31 प्रमुख उपमण्डियों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने के संबंध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
10	मण्डी परिषद उ0प्र0 में निर्माण कार्यों हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत मुख्य सचिव द्वारा निर्गत आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सख्या–6/2018/256/78–2–2018–42 आई.टी./2017 टी0सी0 दिनॉक 24.04.2018 के क्रम में निर्गत परिषद कार्यालय ज्ञाप पत्रांक मु0अभि0ग्रेड–2/ई–टेण्डरिंग(8042)/2018–3815 दिनॉक 08.05.2018 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	अनुमोदन प्रदान किया गया।
11	मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश स्तर पर कराये जा रहे विभिन्न प्रकार के रू0 5.00 करोड़ से रू0 10.00	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
	करोड़ तक लागत के निर्माण कार्यो की Third Party Inspection के सम्बन्ध में।	
12	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ उ0प्र0 की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के स्थान पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित कराये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
13	मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये उड़द, चना, मसूर, सरसों आदि की खरीद पर मण्डी शुल्क व विकास सेस की धनराशि भारत सरकार से इन संस्थाओं को प्राप्त न होने के कारण तुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति, इस विषय में भारत सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय लिये जाने तक, विशेष सुविधा के रूप में क्रय संस्था को किये जाने के संबंध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
14	मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत चना,मटर एवं सरसों की खरीद के लिए क्रियाशील पूंजी के रूप में ब्याज–रहित ऋण उपलब्ध कराने संबंधी कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	अनुमोदन प्रदान किया गया।
15	काला नमक चावल के उत्पादन/विपणन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उन्नत किस्म के धान उत्पादन एवं उसके प्रसंस्करण सम्बन्धी अनुसंधान के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (UPCAR) के माध्यम से शोध अनुदान दिये जाने विषयक बजट स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
16	उ0प्र0 राज्य की ऐसी 10 मण्डियों में, जो वर्तमान में e-NAM के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं; कृषि उपज के ऑन–लाईन व्यापार की सुविधा हेतु कर्नाटक मॉडल के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने के लिये अध्ययन एवं आवश्यकतानुसार पाईलेट प्रोजेक्ट लागू करने के सुझाव पर विचार।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा भारत सरकार की योजनान्तर्गत संचालित ई–नाम परियोजना को ही आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाने की नीति के क्रम में अन्य पद्धति की योजना को लागू न करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को निरस्त किया गया। मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डी समिति के सिक्योर्ड प्रपत्रों यथा प्रपत्र संख्या–6/ प्रपत्र संख्या –9/ प्रपत्र संख्या–7 तथा गेटपास (प्रपत्र संख्या–5क) को डिजिटाइज किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए।

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
17	उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादित विविध कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने हेतु निर्यात उद्यमी प्रोत्साहन अनुदान योजना।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।
18	रू0 पॉच करोड़ से अधिक लागत की प्लान्ट एवं मशीनरी वाली नई प्रसंस्करण इकाईयों को देय प्रदत्त मण्डी शुल्क की छूट की सीमा को प्लान्ट एवं मशीनरी की कुल लागत के मूल्य तक अथवा पॉच वर्ष की समयावधि, जो भी कम अथवा पहले हो, तक सीमित किये जाने के संबंध में नियमावली के नियम–137 में संशोधन का प्रस्ताव।	प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि नई प्रसंस्करण इकाईयों को ईकाई की स्थापना की तिथि से छः माह के भीतर मण्डी शुल्क / विकास शुल्क से छूट के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19	मण्डी / उपमण्डी घोषित किये जाने संबंधी मानकों के निर्धारण के संबंध में संशोधन हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
20	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित विशिष्ट मण्डी स्थलों के दुकानों के आवंटन एवं संचालन संचालन हेतु वर्तमान में प्रभावी आवंटन विनियमावली– 2016 (यथासंशोधित) के प्राविधानों में छूट देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय भी लिया गया कि मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को निर्णय लेने हेतु मण्डी परिषद द्वारा विस्तृत गाइड लाइन तैयार कर शासन के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रेषित की जाए। तद्नुसार मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अस्थानान्तरित मण्डियों को जिला प्रशासन के सहयोग से निर्मित मण्डी स्थलों / उप मण्डी स्थलों में विशेष अभियान चलाकर स्थानान्तरित कराया जाय।
21	मण्डी / उपमण्डी / स्थल / कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0) / ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित नीलामी चबूतरों के आवंटन को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय भी लिया गया कि भविष्य के लिए ऐसे आवंटनों को सामान्यतः हतोत्साहित किया जाए किन्तु पूर्व में ऐसे हुए आवंटनों का वस्तुस्थिति का आंकलन करने के उपरान्त ही एक रणनीति बनाकर इस प्रकार से हटाया जाए कि मण्डी समितियों में होने वाले व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और

संख्या	विषय	कार्यवाही / निर्णय
		कृषकों को भी कोई असुविधा न हो।
22	मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति सेवा के रिक्त पदों के सापेक्ष आवश्यकतानुसार अन्य शासकीय विभागों के साथ–साथ अर्द्धशासकीय विभागों (यथा–सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं) के कार्मिकों को भी प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की अनुमति विषयक प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
23	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (संशोधन) विनियमावली, 1999 में सहायक अभियन्ता संवर्ग में 8.33 प्रतिशत पद डिग्रीधारक अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु आरक्षित किए जाने विषयक प्राविधान को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

31.7.18
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

अनुमोदित

(योगी आदित्यनाथ)
अध्यक्ष,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश

(योगी आदित्यनाथ)
मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश